नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 200/22 प्रा.पत्र

– श्री भैरू s/o श्री उदा कुमावत निवासी छाजो का खेड़ा केरिया त० माण्डल

–प्रार्थी

वनाम

श्री नारायण s/o बालू कुमावत निवासी - छाजो का खेड़ा तहसील माण्डल
श्रीमती लादी देवी w/o बालू कुमावत निवासी - छाजो का खेड़ा तहसील माण्डल
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील - माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 27.12.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम छाजो का खेड़ा पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2017/1628 कुल किता 01 रकबा 0.0253 र स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.09.22 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का री हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते सर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम छाजो का खेड़ा पटवार केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 2017/1628 किता 01 रकबा 0.0253 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी अहलमाद को 500/- रूपये/– कमिश्नर फीस जमा कराने हेतु भू–अभिलेख करान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को ... कमिश्नर फीस जमा होने पत्थगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें। ... तकील विन्दु को आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:45:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।